वि. नं. 43/18 (दावा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२०/8/19	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील शा० का० है। प्रतिवादी को आवाज लगाई गई। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित है। प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधि० वादिया का कथन है, कि वादिया द्वारा जो राजस्व अभिलेख पेश किये है, वह पर्याप्त है। वादियां वादग्रस्त भूमि की अभिलिखित खातेदार है। प्रति० का वादिया की भूमि से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिवादी अका(०) ही बिना हक अधिकार के वादियां की भूमि पर मदाखलत मजाहमत करता है, अतः प्रति० को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अलावा अन्य कोई कोई साक्ष्य पेश नहीं करना है। हमने पत्रावली का भली भाँति अवलोकन किया। राजस्व नकल जमाबंदी ग्राम देवलीकलां सं० 2072-75 (वाद)	

20/8/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मौ. रेवली कलां खसरा नं० 1242/164 वारियां के नाम बतौर खातेदार दर्ज थी खसरा गिरदावरी ग्राम रेवलीकलां सं. 2072-75 पर उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त किया जाना प्रमाणित थी इस प्रकार हस्ब रिकार्ड वारिया वादग्रस्त भूमि की खातेदार आसामी थी वारियां की हैसियत धारा 14 में वर्णित आसामी की श्रेणी व धारा 5(43) में यथा परिभाषित आसामी की थी प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से सरोकार नहीं थी यदि प्रति० द्वारा वारियां की भूमि पर बेजा मदाखलत मजाहमत की जाती है, तो इससे वारिया को ऐसी क्षति सम्भाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन सम्भव नहीं हो सकता। अतः दावा वारिया स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई आदेश पाबंद किया जाता है, कि वो वारिया की भूमि ग्राम रेवलीकलां ख० नं० 1242/164 रकबा 0.49 हे० पर वारियां के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत न स्वयं करे और न ही जरिये एजेन्ट करावें। वारियां भी प्रतिवादी की उसकी भूमि पर अर्थात प्रतिवादी के खाते की भूमि में मदाखलत नहीं करेगी तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो निर्णय आज दि० 20/8/19 को सुनाया गया। 20/08/19 (उपखण्ड अधिकारी ...)	